सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 49/2001 राजस्व वाद

1. बृजेन्द्र पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)

1/1– अविलेश पुत्री बृजेन्द्र पत्नी विनोद जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग हाल निवासी कानपुर (उ0प्र0)

1/2– चन्दा देवी पत्नी बृजेन्द्र जाति पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग तहसील डीग

2. रमेश चन्द पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)

2/1– कलावती पत्नी रमेश चन्द

2/2– केदार

2/3– वेदप्रकाश पुत्रगण रमेश चन्द जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

3. छोटेलाल उर्फ रामबाबू पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)

3/1– नरेश

3/2– प्रशांत

3/3– सुशांत पुत्रगण छोटेलाल उर्फ रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

3/4– श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी छोटेलाल उर्फ रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

——वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल उर्फ जगन्नाथ पुत्र झण्डाराम जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग हाल पूँछरी तहसील डीग (मृतक लाबल्द विला औरत)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, डीग

——प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

3. देवेन्द्र कुमार पुत्र बद्री जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी ऊटरावली तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर (उ0प्र0) हाल निवासी डण्डी आश्रम राधाकुण्ड वाली परिक्रमा गोर्वधन जिला मथुरा (उ0प्र0)
4. सालिगराम पुत्र बोदनराम जाति ब्राह्मण निवासी लोहा मण्डी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (मृतक)

4/1– लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्खो

4/2– मूलचन्द उर्फ पप्पन पुत्रगण सालिगराम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

—इच्छुक पक्षकार

दावा बावत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय दिनांक :– 20.04.2018

वादीगण ने यह वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि साबिक आराज ख0नं0 1296 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 1297 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, ख0नं0 1298 रकबा 2 विस्वा, ख0नं0 1299 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, ख0नं0 1300 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, ख0नं0 1307 रकबा 7 बीघा 14 विस्वा, ख0नं0 1391 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, ख0नं0 1392 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा किता 8 रकबा 28 बीघा 18 विस्वा बाकै कस्बा डीग तहसील डीग में स्थित है। जिसके सैटिलमेन्ट में हाल ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 बाकै कस्बा डीग में बदले गये हैं। उक्त आराजी वादीगण के पिता की मिलकीयत व मकबूजीयत की आराजी थी। वादीगण के पिता रामचन्द का था। रामचन्द की मृत्यु के बाद वादीगण का नाम वहैसियत वारिस रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण सं0 1 वादीगण का मौसा है। वादीगण की नाबालिगी में वादीगण की माँ मु0

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

सरवती ने प्रतिवादीगण सं0 1 को मुख्तार बावत् इन्तजाम आराजी मुकर्रिर किया परन्तु प्रति0 सं0 1 के मन में बदयान्ति आ गई और आराजी को हड़पने की नियत रखने लगा। जिस पर वादीगण की माता मुस0 सरवती ने प्रति0 सं0 1 के नाम हुए मुख्तार आम को निरस्त कर दिया और इस बावत् आम सूचना अखबार (आवाज) में दिनांक 11.10.1960 में प्रकाशित कर दी। प्रति0 बैरागी हो गया और कस्बा डीग को छोड़कर चला गया। वादी ही आराजी मुत0 को बदस्तूर काश्त करते रहे मगर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण शिकमी दर्ज कर दिया और जमाबन्दी सम्वत् 2029 में वादीगण को वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिकमी साल 14 दर्ज किया गया। प्रति0 सं0 1 न तो कस्बा डीग में रहता है पहले तो वह बैरागी होकर कहीं बाहर लापता हो गया और अब कुछ समय से वह ग्राम पूँछरी में रहता है। आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है और मौके पर वादीगण ही कब्जाकाश्त कर रहे हैं तथा आराजी का लगान अदा कर रहे हैं। तहसील डीग में सैटिलमेन्ट ऑपरेशन हुआ जिसमें भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण को बिना सुनवाई के यकतरफा में वादीगणके नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन कर दिया गया जबकि भूप्रबन्ध अधिकारीयों को इस प्रकार के इन्द्राज को कलमजन करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रति0 इस गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुत0 को रहन–वय–मुन्तकिल करना चाहता है जिसके लिए उसने दिनांक 30.04.1995 को ऐलानियां धमकी है। यदि वह अपनी धमकी में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद धनराशि से न हो सकेगी।

अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि हाल आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 बाकै कस्बा डीग पर वादीगण को वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है वादीगण को व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जावे तथा प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी मुत0 में किसी प्रकार की मजामहत व मदाखलत न करें।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रति0 को जरिये समन तलब किया गया। प्रति0 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। प्रति0 सं0 4/1 व 4/2 ने अपना जवाबदावा पेश कर कहा कि सम्वत् 2012 से पूर्व बाबूलाल प्रतिवादी काश्त करता था तथा सम्वत् 2010 से 2013 में गैरमौरूसी खातेदार काश्तकार रहा है तथा बाद में बाबूलाल खातेदार काश्तकार हो गया। वादीगण द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध में लगान की रसीद दिनांक 09.06.1990 से पूर्व की पेश नहीं की है क्योंकि वादीगण का आराजी पर कब्जा ही नहीं है अगर होता तो पेश करते। प्रतिवादी बाबूलाल आराजी मुत0 पर खातेदार काश्तकार था बाबूलाल की मृत्यु के पश्चात् प्रति0 सं0 3 व प्रतिवादीगण सं0 4/1 व 4/2 हिस्सानुसार आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पूर्व में इस न्यायालय में दावा संख्या 82/95 दर्ज होकर दिनांक 09.06.1995 को निर्णित होकर डिक्री हो चुका था। जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने प्रकरण अपील/T.A/250/96/भरतपुर निर्णय दिनांक 17.04.2001 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.1995 को निरस्त कर प्रति0 को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की अनुपालना में प्रकरण पुः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य हेतु पर्याप्त समय दिया गया। पक्षकारान के मध्य दिनांक 02.02.2017 को राजीनामा हो गया तथा उनके द्वारा राजीनामा पेश किया कि विवादित आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 बाकै कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण शुरु से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिनांक 09.06.1995 को दावा बृजेन्द्र बनाम बाबूलाल मु0सं0 82/95 जो डिक्री व हक वादीगण पारित की गई वह वही तरीके से पारित की गई थी। हम प्रति0 का कोई ऐतराज किसी प्रकार का नहीं

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने में हम प्रति0 को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। उक्त राजीनामा संलग्न पत्रावली है।

वकील वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने के अलावा मौखिक साक्ष्य भी पेश की। बहस वकील वादीगण सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2049–2052 बाकै कस्बा डीग प्रथम के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 किता 11 रकबा 4.35 पर बाबूलाल पुत्र झण्डाराम ब्राह्मण सा0देह खातेदार के अंकन है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग सं0 2041 बाकै कस्बा डीग के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 1429/0.44 साबिक ख0नं0 1296 मि0 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा हाल ख0नं0 1430/0.50 साबिक ख0नं0 1307 मि0 रकबा 6 बीघा हाल ख0नं0 1431/0.49 साबिक ख0नं0 1307 मि0 हाल ख0नं0 1432/0.35 साबिक ख0नं0 1296 मि0 हाल ख0नं0 1433/0.01 साबिक ख0नं0 1297 मि0 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा हाल ख0नं0 1434/0.58 साबिक ख0नं0 1297 मि0 1298 रकबा 2 विस्वा ख0नं0 1299 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा, हाल ख0नं0 1435/0.26 साबिक ख0नं0 1299 मि0 हाल ख0नं0 1436/0.19 साबिक ख0नं0 1300 मि0 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा हाल ख0नं0 1437/0.26 साबिक ख0नं0 1300 मि0, हाल ख0नं0 1464/0.63 साबिक ख0नं0 1391 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा एवं हाल ख0नं0 1465/0.64 साबिक ख0नं0 1392 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा से बनाये गये हैं। नकल जमाबन्दी सं0 1982 बाकै मौजा कस्बा डीग आराजी ख0नं0 1294 रकबा 5 विस्वा, 1296 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा 1297 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा 1302 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा पर रामचन्द पुत्र नारायण कौम ब्राह्मण सा0देह दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार के इन्द्राज आराजी ख0नं0 1391 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा ख0नं0 1392 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा पर हैं। नकल जमाबन्दी सं0 2030 से 2033 बाकै कस्बा डीग आराजी ख0नं0 1296 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा ख0नं0 1297 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा ख0नं0 1298 रकबा 2 विस्वा ख0नं0

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

1299 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा ख0नं0 1300 रकबा 3 बीघा 19 विस्वा ख0नं0 1307 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा ख0नं0 1391 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा ख0नं0 1392 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा पर बाबूलाल पुत्र झण्डाराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार व काश्त विजेन्द्र, रमेशचन्द, छोटेलाल पिस0 रामचन्द कौम ब्राह्मण सा0देह व0हि0ब0 शिकमी साल 14 के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015–2018 बाकै कस्बा डीग के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1307, 1391, 1392 पर बाबूलाल पुत्र झण्डाराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार व काश्त बृजेन्द्र, रमेशचन्द, छोटेलाल कौम ब्राह्मण सा0देह व0हि0ब0 शिकमी दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल मिलान हकीकत बाकै ग्राम कस्बा डीग सम्वत् 2041 के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 किता 11 रकबा 4.35 पर बाबूलाल पुत्र झण्डाराम कौम ब्राह्मण सा0देह खातेदार के अंकन हैं। नकल मुख्तयारनामा दिनांक 04.06.1952 जो मुस0 सरवती बेवा रामचन्द कौम ब्राह्मण सा0डीग ने जगन्नाथ उर्फ बाबूलाल के हक में कराया था। उसे अखबार आवाज दिनांक 11.10.1960 को मुख्तयारनामा से हटाने बावत् प्रकाशन कराया जाना प्रकट है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि साबिक रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 में उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज रामचन्द के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है प्रकट है तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018–2018 व सम्वत् 2030–2033 में वादीगण के कब्जेकाश्त में दर्ज रही है। इस बावत् रिकॉर्ड की पुष्टि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.02.2017 से भी होती है। प्रति0 द्वारा उक्त राजीनामा में विवादित आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त होना अंकित किया है तथा वादीगण के नाम दर्ज किए जाने में उन्होंने कोई ऐतरात न होना भी अंकित किया है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 09.0.1995 की बावत् भी अपनी सहमति प्रकट की है। इस प्रकार पस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं राजीनामा से वादीगण का दावा प्रमाणित होता है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर दावा वादीगण प्रमाणित होने की स्थिति में काबिले डिक्री के है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

अतः आदेश है कि –

वादीगण का दावा रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 बाकै कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण 1/1 व 1/2 व0हि0ब0 दर हिस्सा 1/3 एवं वादीगण 2/1 लगायत 2/3 दर हिस्सा 1/3 एवं वादीगण 3/1 लगायत 3/4 व0हि0ब0 दर हिस्सा 1/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की इजाजत दी जाती है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 49/2001 राजस्व वाद

1. बृजेन्द्र पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)
1/1– अविलेश पुत्री बृजेन्द्र पत्नी विनोद जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग हाल निवासी कानपुर (उ0प्र0)
1/2– चन्दा देवी पत्नी बृजेन्द्र जाति पालीवाल ब्राह्मण नि0 कस्बा डीग तहसील डीग
2. रमेश चन्द पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)
2/1– कलावती पत्नी रमेश चन्द
2/2– केदार
2/3– वेदप्रकाश पुत्रगण रमेश चन्द जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग
3. छोटेलाल उर्फ रामबाबू पुत्र रामचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग (मृतक)
3/1– नरेश
3/2– प्रशांत
3/3– सुशांत पुत्रगण छोटेलाल उर्फ रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग
3/4– श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी छोटेलाल उर्फ रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

——वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल उर्फ जगन्नाथ पुत्र झण्डाराम जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग हाल पूँछरी तहसील डीग (मृतक लाबल्द बिला औरत)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, डीग

——प्रतिवादीगण

3. देवेन्द्र कुमार पुत्र बद्री जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी ऊटरावली तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर (उ0प्र0) हाल निवासी डण्डी आश्रम राधाकुण्ड वाली परिक्रमा गोर्वधन जिला मथुरा (उ0प्र0)
4. सालिगराम पुत्र बोदनराम जाति ब्राह्मण निवासी लोहा मण्डी कस्बा डीग तहसील डीग जिला भरतपुर (मृतक)
4/1– लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्खो
4/2– मूलचन्द उर्फ पप्पन पुत्रगण सालिगराम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी कस्बा डीग तहसील डीग

——इच्छुक पक्षकार

दावा बावत् उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिब पक्षकारान मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का दावा रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी ख0नं0 1429/0.44, 1430/0.50, 1431/0.49, 1432/0.35, 1433/0.1, 1434/0.58, 1435/0.26, 1436/0.19, 1437/0.26, 1464/0.63, 1465/0.64 बाकै कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग पर वादीगण 1/1 व 1/2 व0हि0व0 दर हिस्सा 1/3 एवं वादीगण 2/1 लगायत 2/3 दर हिस्सा 1/3 एवं वादीगण 3/1 लगायत 3/4 व0हि0व0 दर हिस्सा 1/3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की इजाजत दी जाती है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

आज.....मुवलिंग.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर.....को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 20.04.2018 माह.....सन्.....को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	2				
मीजान			मीजान		